

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

ओम प्रकाश झा,
अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना
महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, पटना
प्रधान सचिव / सचिव,
सभी विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:- 31/08/2017

विषय:- बिहार विनियोग(संख्या—2) अधिनियम, 2017

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए बिहार विनियोग(संख्या—2) विधेयक, 2017 पर महामहिम राज्यपाल ने दिनांक: 31.03.2017 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। विधि विभाग ने बिहार विनियोग (संख्या—2) अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 5, 2017) को अधिसूचना संख्या—एल०जी०—01—05 / 2017 / लेज़: 39 एवं 40 (अंग्रेजी अनुवाद) दिनांक: 31.03.2017 द्वारा अधिसूचित किया है, जिसे बिहार गजट असाधारण के अंक संख्या—263 दिनांक—31.03.2017 से प्रकाशित किया गया है।

2. बिहार गजट असाधारण के अंक संख्या—263 दिनांक—31.03.2017 की पाँच प्रतियाँ, प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना को एवं 35 प्रतियाँ महालेखाकार, ले० एवं हक० को तथा सभी विभागों को एक—एक प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं।

3. उपर्युक्त के आलोक में 31 मार्च, 2018 तक की अवधि के लिए बजट में प्रावधानित राशि को नियमानुसार व्यय किया जा सकता है। राशि की व्यय की अधिकतम सीमा अधिनियम के अनुसूची के कॉलम—6 में अंकित राशि तक सीमित है। अगर कोई नये उपशीर्ष में राशि प्रावधानित की गयी हो तो उस उपशीर्ष से राशि का व्यय महालेखाकार से उक्त उपशीर्ष के खोलने संबंधी सहमति पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही किया जाना है।

4. संबंधित गजट को बिहार गजट के वेबसाईट <http://egazette.bih.nic.in/> पर देखी जा सकती है। संबंधित यह सूचना वित्त विभाग के वेबसाईट <http://finance.bih.nic.in> पर भी प्रकाशित की जा रही है।

विश्वासभाजन,

(ओम प्रकाश झा)

अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक— ब-15/बी0एस0जी0-19/2017 - ५२८ /वि० पटना, दिनांक: ३१/०३/२०१७


प्रतिलिपि—महामहिम राज्यपाल के सचिव/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/आरक्षी महानिदेशक, बिहार, पटना/महानिदेश, अभियोजन निदेशालय, गृह विभाग/सचिव, बिहार विधान सभा/विधान परिषद्/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/अध्यक्ष, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग/स्थानीय आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, नई दिल्ली/मुख्य मंत्री के सचिव/मंत्री, वित्त विभाग के आप्त सचिव/लोकायुक्त के सचिव/सचिव, राजस्व पर्षद/महानिरीक्षक, कारा, गृह विभाग/राज्य सूचना आयोग के सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विकास आयुक्त के सचिव को बिहार गजट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(ओम प्रकाश झा)

अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक— ब-15/बी0एस0जी0-19/2017 - ५२८ /वि० पटना, दिनांक: ३१/०३/२०१७


प्रतिलिपि—सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार पदाधिकारी को बिहार गजट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(ओम प्रकाश झा)

अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक— ब-15/बी0एस0जी0-19/2017, ५२८ /वि० पटना, दिनांक: ३१/०३/२०१७

प्रतिलिपि— निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/निदेशक, श्रम निदेशालय, श्रम संसाधन विभाग/निदेशक, पुरातत्व निदेशालय/निदेशक, संग्रहालय निदेशालय, कला संस्कृति एवं युवा विभाग/निदेशक, गव्य निदेशालय/निदेशक, मत्स्य निदेशालय/निदेशक, पशुपालन निदेशालय, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/निदेशक, जन शिक्षा/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, उच्च शिक्षा/निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण/निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्/निदेशक, सामाज कल्याण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग/निदेशक, कृषि निदेशालय, कृषि विभाग/निदेशक, चकबंदी/निदेशक, भू-अर्जन निदेशालय/निदेशक, सर्वे निदेशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/निदेशक, सांच्यकी एवं मूल्यांकन निदेशालय/निदेशक, अभिलेखाकार/निदेशक, भूमि संरक्षण/निदेशक, देशी चिकित्सा/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें/निदेशक, सांस्थिक वित्त/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार/सचिव, वाणिज्य-कर न्यायधिकरण/मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को बिहार गजट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(ओम प्रकाश झा)

अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-15/बी0एस0जी0-19/2017 - ५२८ /वि० पटना, दिनांक: ३१/०३/२०१८

प्रतिलिपि- अभिलेखागार पदाधिकारी, बिहार, पटना/उप सचिव, बिहार विधान सभा पुस्तकालय/अवर सचिव, बिहार विधान परिषद् पुस्तकालय को बिहार गजट की ५-५ प्रतियाँ अभिलेख संधारण हेतु प्रेषित।

(ओम प्रकाश झा)

अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-15/बी0एस0जी0-19/2017 - ५२८ /वि० पटना, दिनांक: ३१/०३/२०१८

प्रतिलिपि- मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त (अंकेक्षण) विभाग/निदेशक, प्रेस एवं स्टेशनरी/संयुक्त आयुक्त, लेखा प्रशासन/संयुक्त सचिव, प्रभारी पदाधिकारी, वित्त शाखा-४ एवं ५/ संयुक्त सचिव, प्रभारी शाखा-१०/संयुक्त सचिव, डाटा कोषांग/संयुक्त सचिव, कोषागार शाखा/ संयुक्त सचिव, स्थापना/संयुक्त सचिव, लेखा शाखा/ उप सचिव, लोक उद्यम ब्यूरो/ निदेशक, सांस्थिक वित्त/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग, वित्त विभाग/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सचिव(व्यय) के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, शाखा-१०, १३ एवं ४ को बिहार गजट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ओम प्रकाश झा)

अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-15/बी0एस0जी0-19/2017 - ५२८ /वि० पटना, दिनांक: ३१/०३/२०१८

प्रतिलिपि- स्थानीय लेखा परीक्षक, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा), वीरचन्द्र पटेल मार्ग, बिहार, पटना को बिहार गजट की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ओम प्रकाश झा)

अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-15/बी0एस0जी0-19/2017 - ५२८ /वि० पटना, दिनांक: ३१/०३/२०१८

प्रतिलिपि- सभी उप बजट नियंत्रक/प्रणाली विश्लेषक/आई०टी० मैनेजर डाटा कोषांग को बिहार गजट की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रणाली विश्लेषक/आई०टी० मैनेजर डाटा कोषांग को निदेशित किया जाता है कि इसे विभागीय वेबसाइट पर डाल दें तथा सभी विभागों/जिला पदाधिकारियों/कोषागार पदाधिकारियों को ई मेल भी कर दें।

(ओम प्रकाश झा)

अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-15/बी0एस0जी0-19/2017 - ५२८ /वि० पटना, दिनांक: ३१/०३/२०१८

प्रतिलिपि-बजट शाखा के सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ सहायकगण को बिहार गजट की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ओम प्रकाश झा)

अपर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 चैत्र 1939 (श०)

(सं० पटना 263) पटना, शुक्रवार, 31 मार्च 2017

विधि विभाग

आधिसूचनाएं

31 मार्च 2017

सं० एल०जी०-०१-०५/२०१७/३९/लेज़: ।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 31 मार्च 2017 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,

सरकार के सचिव ।

[बिहार अधिनियम 5, 2017]

बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2017

बिहार राज्य की संचित निधि में से 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम ।

भारत-गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।-(1) यह अधिनियम बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2017 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह 01 अप्रैल 2017 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से कुल 1606,02,70,44,000 (एक हजार छह सौ छह अरब दो करोड़ सत्तर लाख चवालीस हजार) रूपये की निकासी।- बिहार राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में, 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान आने वाले अनेक भारों की पूर्ति के लिए अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशियों से अनधिक राशियाँ, जो कुल 1606,02,70,44,000 (एक हजार छह सौ छह अरब दो करोड़ सत्तर लाख चवालीस हजार) रूपये तक होंगी, शोधित और उपयोजित की जा सकेंगी।

3. विनियोग-। - इस अधिनियम द्वारा जिन राशियों को बिहार राज्य की संचित निधि में से शोधित और उपयोजित करने का प्राधिकार दिया गया है, उन्हें 31 वीं मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के निमित्त विनियोजित किया जायेगा।

अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूँजी	राशि की अधिसीमा (रुपये)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
1	कृषि विभाग	राजस्व	26,14,74,01,000	0	26,14,74,01,000
		पूँजी	30,00,00,000	0	30,00,00,000
2	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	राजस्व	5,81,12,44,000	0	5,81,12,44,000
		पूँजी	0	0	0
3	भवन निर्माण विभाग	राजस्व	6,01,66,52,000	0	6,01,66,52,000
		पूँजी	34,05,67,26,000	0	34,05,67,26,000
4	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	राजस्व	3,97,67,03,000	0	3,97,67,03,000
		पूँजी	16,54,14,000	0	16,54,14,000
5	राज्यपाल सचिवालय	राजस्व	0	20,08,49,000	20,08,49,000
		पूँजी	0	0	0
6	निर्वाचन विभाग	राजस्व	90,87,52,000	0	90,87,52,000
		पूँजी	0	0	0
7	निगरानी विभाग	राजस्व	36,21,40,000	0	36,21,40,000
		पूँजी	0	0	0
8	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	राजस्व	1,37,55,16,000	0	1,37,55,16,000
		पूँजी	0	0	0
9	सहकारिता विभाग	राजस्व	5,65,24,72,000	0	5,65,24,72,000
		पूँजी	1,85,20,33,000	0	1,85,20,33,000
10	उर्जा विभाग	राजस्व	50,94,83,23,000	0	50,94,83,23,000
		पूँजी	58,10,20,08,000	0	58,10,20,08,000
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	राजस्व	14,90,50,82,000	0	14,90,50,82,000
		पूँजी	45,58,52,000	0	45,58,52,000
12	वित्त विभाग	राजस्व	2,60,06,63,000	6,64,01,00,000	9,24,07,63,000
		पूँजी	32,50,00,000	0	32,50,00,000
13	सूद भुगतान	राजस्व	0	95,91,36,21,000	95,91,36,21,000
		पूँजी	0	0	0
14	ऋण अदायगियां	राजस्व	0	0	0
		पूँजी	0	47,97,27,86,000	47,97,27,86,000

मांग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूँजी	राशि की अधिसीमा (रुपये)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
15	पेंशन	राजस्व	1,98,66,78,81,000	10,84,56,000	1,98,77,63,37,000
		पूँजी	0	0	0
16	पंचायती राज विभाग	राजस्व	86,94,42,29,000	0	86,94,42,29,000
		पूँजी	1,00,000	0	1,00,000
17	वाणिज्य-कर विभाग	राजस्व	1,29,12,61,000	0	1,29,12,61,000
		पूँजी	0	0	0
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	राजस्व	16,41,90,06,000	0	16,41,90,06,000
		पूँजी	2,82,82,000	0	2,82,82,000
19	पर्यावरण एवं वन विभाग	राजस्व	3,16,96,74,000	0	3,16,96,74,000
		पूँजी	2,00,00,000	0	2,00,00,000
20	स्वास्थ्य विभाग	राजस्व	61,82,53,13,000	0	61,82,53,13,000
		पूँजी	8,18,99,00,000	0	8,18,99,00,000
21	शिक्षा विभाग	राजस्व	2,43,18,98,79,000	0	2,43,18,98,79,000
		पूँजी	9,32,40,01,000	0	9,32,40,01,000
22	गृह विभाग	राजस्व	72,33,88,59,000	0	72,33,88,59,000
		पूँजी	2,14,06,31,000	0	2,14,06,31,000
23	उद्योग विभाग	राजस्व	7,33,26,44,000	0	7,33,26,44,000
		पूँजी	1,10,00,00,000	0	1,10,00,00,000
24	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	राजस्व	2,04,55,66,000	0	2,04,55,66,000
		पूँजी	0	0	0
25	सूचना प्रावैधिकी विभाग	राजस्व	1,68,63,71,000	0	1,68,63,71,000
		पूँजी	80,00,00,000	0	80,00,00,000
26	श्रम संसाधन विभाग	राजस्व	4,13,95,00,000	0	4,13,95,00,000
		पूँजी	55,00,01,000	0	55,00,01,000
27	विधि विभाग	राजस्व	6,96,88,60,000	0	6,96,88,60,000
		पूँजी	0	0	0
28	उच्च न्यायालय	राजस्व	0	1,66,42,00,000	1,66,42,00,000
		पूँजी	0	0	0
29	खान एवं भूतत्व विभाग	राजस्व	25,85,16,000	0	25,85,16,000
		पूँजी	0	0	0

मांग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूँजी	राशि की अधिसीमा (रुपये)		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व	2,89,96,76,000	0	2,89,96,76,000
		पूँजी	3,05,10,00,000	0	3,05,10,00,000
31	संसदीय कार्य विभाग	राजस्व	2,01,47,000	0	2,01,47,000
		पूँजी	0	0	0
32	विधान मंडल	राजस्व	1,70,21,41,000	1,14,34,000	1,71,35,75,000
		पूँजी	0	0	0
33	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	5,18,61,16,000	5,79,00,000	5,24,40,16,000
		पूँजी	0	0	0
34	बिहार लोक सेवा आयोग	राजस्व	0	22,60,13,000	22,60,13,000
		पूँजी	0	0	0
35	योजना एवं विकास विभाग	राजस्व	13,86,41,64,000	0	13,86,41,64,000
		पूँजी	14,55,31,12,000	0	14,55,31,12,000
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	राजस्व	6,24,71,92,000	0	6,24,71,92,000
		पूँजी	18,09,69,33,000	0	18,09,69,33,000
37	ग्रामीण कार्य विभाग	राजस्व	11,86,18,74,000	0	11,86,18,74,000
		पूँजी	83,31,86,31,000	0	83,31,86,31,000
38	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग	राजस्व	1,52,80,37,000	0	1,52,80,37,000
		पूँजी	0	0	0
39	आपदा प्रबंधन विभाग	राजस्व	10,69,00,01,000	0	10,69,00,01,000
		पूँजी	40,00,000	0	40,00,000
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	राजस्व	8,34,06,45,000	0	8,34,06,45,000
		पूँजी	28,15,23,000	0	28,15,23,000
41	पथ निर्माण विभाग	राजस्व	11,29,91,08,000	0	11,29,91,08,000
		पूँजी	55,05,99,00,000	0	55,05,99,00,000
42	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व	96,64,48,45,000	0	96,64,48,45,000
		पूँजी	53,00,00,000	0	53,00,00,000
43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	राजस्व	1,02,70,35,000	0	1,02,70,35,000
		पूँजी	1,10,75,00,000	0	1,10,75,00,000
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	राजस्व	12,97,89,97,000	0	12,97,89,97,000
		पूँजी	4,00,00,000	0	4,00,00,000
45	गन्ना उद्योग विभाग	राजस्व	1,18,57,72,000	0	1,18,57,72,000
		पूँजी	0	0	0

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूँजी	राशि की अधिसीमा (रुपये)			
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग	
1	2	3	4	5	6	
46	पर्यटन विभाग	राजस्व	38,40,18,000	0	38,40,18,000	
		पूँजी	71,47,17,000	0	71,47,17,000	
47	परिवहन विभाग	राजस्व	49,05,80,000	0	49,05,80,000	
		पूँजी	11,00,00,000	0	11,00,00,000	
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	राजस्व	43,35,01,21,000	0	43,35,01,21,000	
		पूँजी	0	0	0	
49	जल संसाधन विभाग	राजस्व	10,20,52,18,000	0	10,20,52,18,000	
		पूँजी	27,93,54,43,000	0	27,93,54,43,000	
50	लघु जल संसाधन विभाग	राजस्व	3,02,51,89,000	0	3,02,51,89,000	
		पूँजी	3,04,30,14,000	0	3,04,30,14,000	
51	समाज कल्याण विभाग	राजस्व	58,46,23,79,000	0	58,46,23,79,000	
		पूँजी	1,60,02,02,000	0	1,60,02,02,000	
योग राजस्व			11,26,37,57,62,000	1,04,82,25,73,000	12,31,19,83,35,000	
योग पूँजी			3,26,85,59,23,000	47,97,27,86,000	3,74,82,87,09,000	
महायोग			14,53,23,16,85,000	1,52,79,53,59,000	16,06,02,70,44,000	

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,

सरकार के सचिव।

31 मार्च 2017

सं0 एल0जी0-01-05/2017/40/लेज:।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 31 मार्च 2017 को अनुमत बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2017 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,
सरकार के सचिव ।

[Bihar Act 5, 2017]

THE BIHAR APPROPRIATION (NO.-2) ACT, 2017

AN

ACT

TO AUTHORISE PAYMENT AND APPROPRIATION OF CERTAIN AMOUNT FROM AND OUT OF THE CONSOLIDATED FUND OF THE STATE OF BIHAR FOR THE SERVICES DURING THE YEAR ENDING OF THE THIRTY FIRST DAY OF MARCH, 2018.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty eighth year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement .- (1) This Act may be called the Bihar Appropriation (No.-2) Act, 2017.
 (2) It shall extend to the whole of the state of Bihar.
 (3) It shall come into force with effect from 1st April 2017.
2. Withdrawal of Rs. 1606,02,70,44,000 (one thousand six hundred six Arab two Crore seventy Lakh forty four thousand) out of the Consolidated Fund of the State of Bihar for the year ending on the 31st March 2018.-From and out of the Consolidated Fund of the Bihar, there may be paid and applied amount not exceeding those mentioned in column 6 of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Rs. 1606,02,70,44,000 (one thousand six hundred six Arab two Crore seventy Lakh forty four thousand), only towards defraying the several charges which will come in course of payment during the year ending on the thirty first day of March 2018, in respect of the services specified in column-2 of the Schedule.
3. Appropriation.- The amount authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Bihar by this Act shall be appropriated for and in respect of the services and purposes mentioned in the Schedule in relation to the year ending on the thirty first day of March,2018.

SCHEDULE
(See Section 2 and 3)

Grant/ Appropriation Number	Services and purposes to which the appropriation relates	Revenue Capital	Sums not exceeding (In Rupees)		
			Grant made by the Bihar Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund of the State	Total
1	2	3	4	5	6
1	Agriculture Department	Revenue	26,14,74,01,000	0	26,14,74,01,000
		Capital	30,00,00,000	0	30,00,00,000
2	Animal and Fisheries Resource Department	Revenue	5,81,12,44,000	0	5,81,12,44,000
		Capital	0	0	0
3	Building Construction Department	Revenue	6,01,66,52,000	0	6,01,66,52,000
		Capital	34,05,67,26,000	0	34,05,67,26,000
4	Cabinet Secretariat Department	Revenue	3,97,67,03,000	0	3,97,67,03,000
		Capital	16,54,14,000	0	16,54,14,000
5	Secretariat of the Governor	Revenue	0	20,08,49,000	20,08,49,000
		Capital	0	0	0
6	Election Department	Revenue	90,87,52,000	0	90,87,52,000
		Capital	0	0	0
7	Vigilance Department	Revenue	36,21,40,000	0	36,21,40,000
		Capital	0	0	0
8	Art, Culture and Youth Department	Revenue	1,37,55,16,000	0	1,37,55,16,000
		Capital	0	0	0
9	Co-operative Department	Revenue	5,65,24,72,000	0	5,65,24,72,000
		Capital	1,85,20,33,000	0	1,85,20,33,000
10	Energy Department	Revenue	50,94,83,23,000	0	50,94,83,23,000
		Capital	58,10,20,08,000	0	58,10,20,08,000
11	BC and MBC Welfare Department	Revenue	14,90,50,82,000	0	14,90,50,82,000
		Capital	45,58,52,000	0	45,58,52,000
12	Finance Department	Revenue	2,60,06,63,000	6,64,01,00,000	9,24,07,63,000
		Capital	32,50,00,000	0	32,50,00,000
13	Interest Payment	Revenue	0	95,91,36,21,000	95,91,36,21,000
		Capital	0	0	0
14	Repayment of Loans	Revenue	0	0	0
		Capital	0	47,97,27,86,000	47,97,27,86,000
15	Pension	Revenue	1,98,66,78,81,000	10,84,56,000	1,98,77,63,37,000
		Capital	0	0	0
16	Panchayati Raj Department	Revenue	86,94,42,29,000	0	86,94,42,29,000
		Capital	1,00,000	0	1,00,000
17	Commercial Tax Department	Revenue	1,29,12,61,000	0	1,29,12,61,000
		Capital	0	0	0
18	Food and Consumer Protection Department	Revenue	16,41,90,06,000	0	16,41,90,06,000
		Capital	2,82,82,000	0	2,82,82,000
19	Environment and Forest Department	Revenue	3,16,96,74,000	0	3,16,96,74,000
		Capital	2,00,00,000	0	2,00,00,000
20	Health Department	Revenue	61,82,53,13,000	0	61,82,53,13,000
		Capital	8,18,99,00,000	0	8,18,99,00,000
21	Education Department	Revenue	2,43,18,98,79,000	0	2,43,18,98,79,000
		Capital	9,32,40,01,000	0	9,32,40,01,000

Grant/ Appropriation Number	Services and purposes to which the appropriation relates	Revenue Capital	Sums not exceeding (In Rupees)		
			Grant made by the Bihar Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund of the State	Total
1	2	3	4	5	6
22	Home Department	Revenue	72,33,88,59,000	0	72,33,88,59,000
		Capital	2,14,06,31,000	0	2,14,06,31,000
23	Industries Department	Revenue	7,33,26,44,000	0	7,33,26,44,000
		Capital	1,10,00,00,000	0	1,10,00,00,000
24	Information and Public Relation Department	Revenue	2,04,55,66,000	0	2,04,55,66,000
		Capital	0	0	0
25	Information Technology Department	Revenue	1,68,63,71,000	0	1,68,63,71,000
		Capital	80,00,00,000	0	80,00,00,000
26	Labour Resource Department	Revenue	4,13,95,00,000	0	4,13,95,00,000
		Capital	55,00,01,000	0	55,00,01,000
27	Law Department	Revenue	6,96,88,60,000	0	6,96,88,60,000
		Capital	0	0	0
28	High Court of Bihar	Revenue	0	1,66,42,00,000	1,66,42,00,000
		Capital	0	0	0
29	Mines and Geology Department	Revenue	25,85,16,000	0	25,85,16,000
		Capital	0	0	0
30	Minorities Welfare Department	Revenue	2,89,96,76,000	0	2,89,96,76,000
		Capital	3,05,10,00,000	0	3,05,10,00,000
31	Parliamentary Affairs Department	Revenue	2,01,47,000	0	2,01,47,000
		Capital	0	0	0
32	Legislature	Revenue	1,70,21,41,000	1,14,34,000	1,71,35,75,000
		Capital	0	0	0
33	General Administration Department	Revenue	5,18,61,16,000	5,79,00,000	5,24,40,16,000
		Capital	0	0	0
34	Bihar Public Service Commission	Revenue	0	22,60,13,000	22,60,13,000
		Capital	0	0	0
35	Planning and Development Department	Revenue	13,86,41,64,000	0	13,86,41,64,000
		Capital	14,55,31,12,000	0	14,55,31,12,000
36	Public Health Engineering Department	Revenue	6,24,71,92,000	0	6,24,71,92,000
		Capital	18,09,69,33,000	0	18,09,69,33,000
37	Rural Works Department	Revenue	11,86,18,74,000	0	11,86,18,74,000
		Capital	83,31,86,31,000	0	83,31,86,31,000
38	Prohibition, Excise, and Registration Department	Revenue	1,52,80,37,000	0	1,52,80,37,000
		Capital	0	0	0
39	Disaster Management Department	Revenue	10,69,00,01,000	0	10,69,00,01,000
		Capital	40,00,000	0	40,00,000
40	Revenue and Land Reforms Department	Revenue	8,34,06,45,000	0	8,34,06,45,000
		Capital	28,15,23,000	0	28,15,23,000
41	Road Construction Department	Revenue	11,29,91,08,000	0	11,29,91,08,000
		Capital	55,05,99,00,000	0	55,05,99,00,000
42	Rural Development Department	Revenue	96,64,48,45,000	0	96,64,48,45,000
		Capital	53,00,00,000	0	53,00,00,000

Grant/ Appropriation Number	Services and purposes to which the appropriation relates	Revenue Capital	Sums not exceeding (In Rupees)			
			Grant made by the Bihar Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund of the State	Total	
1	2	3	4	5	6	
43	Science and Technology Department	Revenue	1,02,70,35,000	0	1,02,70,35,000	
		Capital	1,10,75,00,000	0	1,10,75,00,000	
44	SC & ST Welfare Department	Revenue	12,97,89,97,000	0	12,97,89,97,000	
		Capital	4,00,00,000	0	4,00,00,000	
45	Sugar Industries Department	Revenue	1,18,57,72,000	0	1,18,57,72,000	
		Capital	0	0	0	
46	Tourism Department	Revenue	38,40,18,000	0	38,40,18,000	
		Capital	71,47,17,000	0	71,47,17,000	
47	Transport Department	Revenue	49,05,80,000	0	49,05,80,000	
		Capital	11,00,00,000	0	11,00,00,000	
48	Urban Development and Housing Department	Revenue	43,35,01,21,000	0	43,35,01,21,000	
		Capital	0	0	0	
49	Water Resources Department	Revenue	10,20,52,18,000	0	10,20,52,18,000	
		Capital	27,93,54,43,000	0	27,93,54,43,000	
50	Minor Water Resource Department	Revenue	3,02,51,89,000	0	3,02,51,89,000	
		Capital	3,04,30,14,000	0	3,04,30,14,000	
51	Social Welfare Department	Revenue	58,46,23,79,000	0	58,46,23,79,000	
		Capital	1,60,02,02,000	0	1,60,02,02,000	
Total Revenue			11,26,37,57,62,000	1,04,82,25,73,000	12,31,19,83,35,000	
Total Capital			3,26,85,59,23,000	47,97,27,86,000	3,74,82,87,09,000	
Grand Total			14,53,23,16,85,000	1,52,79,53,59,000	16,06,02,70,44,000	

By order of the Governor of Bihar,

SURENDRA PRASAD SHARMA,

Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 263-571+400-डॉ०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>